

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनु

पीठासीन अधिकारी : स्वाति आर.टी.एस
 मिसल नं.- 16/2024
 सरकार बनाम हनुमानप्रसाद पुत्र श्रीराम,
 जाति- मेघवाल, निवासी ढाणी चौहान
 निर्णय दिनांक: 21.02.2024

किस्म मुकदमा-अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल हनुमानप्रसाद पुत्र श्रीराम, जाति-मेघवाल, निवासी ढाणी चौहान द्वारा रोही मौजा ढाणी चौहान की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 395/56 के कुल रकबा 21.85 है गै. मु. जोहड में से 0.05 है. भूमि पर एक मकान बनाकर एवं बाडा बनाकर कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जिसमे गैर सायल द्वारा भूमि खसरा नंबर 395/56 पर लगभग 20 वर्षों से काबिज होना बताया तथा विधुत बिल की प्रति एवं पंचायत द्वारा जारी पट्टा पेश किया। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील संख्या 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जलप्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/नियमन पर प्रतिबंध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब व अन्य सिविल अपील संख्या 1132/2011@ SLP(C) No. 3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणियों में आती है। गैर सायल का प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिए जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 72 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)
 तहसीलदार, सूरजगढ़

र० से० सं० 4 के पृष्ठ सं० 4.6 पर
 वर्ष 23-24 में रुपये 72/- कायम किए
 राजस्व लेखाकार